इच्छामृत्युः भारत में वर्तमान विधिक स्थिति

प्रशान्त मिश्र
विधि परास्नातक प्रथम वर्ष छात्र
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी–221005, उ0प्र0, भारत
prashantpandit88@gmail.com

प्राप्त तिथि–02.06.2015, स्वीकृत तिथि–10.08.2015

हाल ही में 42 वर्षों तक अचेतन अवस्था में रहने के बाद अरूणा शानबाग की मृत्यु ने एक बार पुनः इस विधिक अवधारणा पर बहस करने को विवश कर दिया है, कि क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, जीने के अधिकार के साथ–साथ, मरने का भी सम्मिलित है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी उम्रदराजी की कामना करता है। वह दवाएँ लेता है, खतरे से बचकर चलता है कि किसी लापरवाही या दुर्घटनावश उसकी मृत्यु ना हो जाए। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त मानव जीवन को हर इंसान पूरी खुशी और जिंदादिली से जीना चाहता है, और इसके लिए हर संभव कोशिश करता है। जीवन और मृत्यु का चक्र विधाता के हाथ में है और इसमें भी जीवन तो पूर्णतः विधाता के हाथ में है, किसी के लिए भी अपनी इच्छा के अनुरूप मृत्यु लेना सम्भव नहीं है।

यह सर्वविदित है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को बचाने हेतु सभी प्रयास करता रहता है, परन्तु यदि कोई व्यक्ति मृत्यु ही मांगने लगे तो क्या सोचा जाय। परन्तु कुछ परिस्थितियों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे–असाध्य कष्ट, ठीक न हो सकने वाली बीमारी, अत्यन्त कठोर पीड़ा के साथ ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति अपने मृत्यु की कामना करने लगता है। इस संबंध में इन पंक्तियों का उल्लेख समीचीन होगा कि–

"जिस दिन लाचारी मुझपे तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जायेगी।।"

[1]जाहिर सी बात है कि यदि कोई जीवन की जगह मौत ही माँग बैठे और वह भी कानून से तो फिर सरकार, न्यायालय या कानून क्या करें?

इच्छा मृत्यु/स्वेच्छा मृत्यु क्या है ?

इच्छा मृत्यु की वैधानिकता तथा भारत के साथ–साथ विश्व के अन्य देशों में इसकी स्थिति के बारे में चर्चा करने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि "इच्छा मुत्यु" का अर्थ क्या है, और समय–समय पर होने वाली इसकी माँग के पीछे कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। यूथेनेशिया(Euthanasia) शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द Eu = Good अर्थात् सुखद एवं Thantos = death(मृत्यु) शब्द से मिलकर बना है जिसका हिन्दी भावार्थ "सुखद मृत्यु" है। जब किसी व्यक्ति का जीवन इतना अधिक कष्टप्रद हो जाता है कि वह उस जीवन से मुक्ति पाने हेतु मृत्यु की कामना करने लगता है। ऐसा कष्टप्रद जीवन जीने के स्थान पर उसे मृत्यु सुखद प्रतीत होती है, इसलिए इस अवधारणा को सुखद मृत्यु कहा जाता है। यूथेनेशिया किसी व्यक्ति या प्राणी के जीवन को समाप्त करने का एक तरीका है, जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति या प्राणी को उसके असहनीय जीवन से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जाता है जो पीड़ा रहित या न्यूनतम पीड़ा कारक हो। मृत्यु की प्राप्ति के बाद मनुष्य की जिंदगी समाप्त हो जाती है। मृत्यु कई प्रकार की होती है, जैसे–स्वाभाविक मृत्यु, अकाल मृत्यु, हत्या, आत्महत्या और इच्छा मृत्यु।

इच्छा मृत्यु की भारत में विधिक स्थिति– यदि राज्य किसी को सुखपूर्वक जीने की गारण्टी नहीं दे सकता है तो किसी व्यक्ति से अपने जीवन को अंत करने का अधिकार भी नहीं छीन सकता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से असाध्य रूप से पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु मुक्ति के समान है। मृत्यु न केवल प्रकृति का अनिवार्य नियम है बल्कि परम सत्य भी है। परन्तु हमारे देश में जहाँ कानून की अवहेलना करने में और कानून से बच निकलने में अपराधी माहिर हैं, वहाँ 'स्वेच्छा मृत्य' की आड़ में हत्या के अपराध बढ़ सकते हैं। भारत में इसकी वैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालें तो भारत में इच्छा मृत्यु को वैधता प्राप्त नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309[2] के अन्तर्गत आत्महत्या का प्रयास दण्डनीय अपराध है और धारा 306[3] के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाला व्यक्ति भी दण्ड का भागी होगा और यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सुख प्रदान करने के उद्देश्य से उसके जीवन का अन्त करता है तो वह धारा 302[4] के अंतर्गत हत्या के अपराध का दोषी होगा।

सबसे पहले 1987 में बॉम्बे होईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दूबल[5] के वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 आत्महत्या को एक अपराध मानती है, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अन्तर्गत मरने का अधिकार स्वयं मिला हुआ है। प्रोफेसर वी0 वी0 पाण्डेय[6] ने अपने विचारात्मक लेख में उक्त निर्णय की आलोचना की है। उनका मत है कि "मरने के अधिकार" की अपेक्षा अन्य अधिकार जैसे भोजन, आश्रय, कपड़ा, चिकित्सा सुविधा और पीने का शुद्ध पानी आदि जो मानव के लिए अधिक उपयोगी है, क्या एक व्यक्ति के मरने का अधिकार इन अधिकारों से ऊपर है। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने पी0 रतीनाम बनाम भारत संघ[7] के वाद में कहा, "दण्ड विधि को मानवतावादी बनाने के लिए दण्ड संहिता की धारा 309 विलोपित की जानी चाहिए। यह एक क्रूर और अविवेकी उपबन्ध है। इसका परिणाम ऐसे व्यक्ति को, जिसने यंत्रणा झेली है और आत्महत्या करने में असफलता के बाद उसे बदनामी झेलनी पड़ी है, जो पुनः दण्ड देने के तुल्य है। यदि आत्महत्या का कार्य धर्म, नैतिकता या लोकनीति के विरूद्ध नहीं है तो आत्महत्या के प्रयास के कार्य से समाज पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को इलाज व देखभाल की आवश्यकता है न कि दण्ड की। किन्तु ज्ञान और बनाम पंजाब राज्य[8] के वाद में **उच्चतम न्यायालय ने पी0 रतीनाम** के वाद में दिये गये अपने निर्णय को उलटते हुए विपरीत निर्णय दिया और पाँच सदस्यीय खण्ड पीठ का सर्वसम्मति से निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति जे0 एस0 वर्मा ने कहा कि, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 पूर्ण संवैधानिक है। इसके अन्तर्गत आत्महत्या का प्रयत्न दण्डनीय है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आत्महत्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है क्योंकि मुनष्य का शरीर राष्ट्र की व समाज की सम्पत्ति है तथा राष्ट्र और समाज के प्रति व्यक्ति का कुछ न कुछ कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं। अपने जीवन को समाप्त करके मनुष्य अपने इन कर्तव्यों तथा दायित्वों से बच नहीं सकता। अतः व्यक्ति को धारा 309 के अंतर्गत दण्डित किया जाना चाहिए। भारतीय विधि आयोन ने अपनी 210वीं रिपोर्ट में धारा 309 को दण्ड संहिता से हटाने की सिफारिश की थी। उसका सुझाव था कि आत्महत्या के प्रयास का अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाना चाहिए।

10 दिसम्बर 2014 को भारत सरकार ने आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से हटाने का, तथा धारा 309 को दण्डसंहिता से हटाने का निर्णय लिया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 18 राज्यों ने तथा 4 संघ क्षेत्रों ने निर्णय का समर्थन किया है।[9] परन्तु 'आत्महत्या का प्रयास' को अपराध की श्रेणी से हटाने के कुछ दूसरे पहलू भी हो सकते हैं। उनमें से प्रमुख है कि यदि कोई व्यक्ति आमरण अनशन करता है या अपने आपको जलाने का प्रयास करता है, सरकार पर दबाव डालने के लिए, तो सरकारी मशीनरी के पास कोई विधिक आधार नहीं रह जायेगा उसको ऐसा करने से रोकने के लिए। अतः आज की परिस्थितियों जैसे भारत की साक्षरता, जनसंख्या आदि को देखते हुए इस विषय पर कानून बनाना चाहिए। भारत में जहाँ हत्या के मामले पहले से ही अधिक हैं, धारा 309 को समाप्त करने से इसके दुरूपयोग की सम्भावनायें अधिक बढ़ जायेंगी। अतएव मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए तथा सार्वजनिक हित में विरलतम से विरलतम मामलों के अलावा इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

संदर्भ

1. जनवादी कवि, 'शिवमंगल सिंह सुमन'
2. धारा 309, भारतीय दण्ड संहिता, 1860।
3. धारा 306, भारतीय दण्ड संहिता, 1860।
4. धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860।
5. 1987 क्रिमिनल लॉ जर्नल।
6. प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, राइट टू लाइफ आर डेथः फॉर भारत कैन नाट राइट" (1994)[4] एस0सी0सी0(जर्नल) पृ0 1।
7. (1994)3 एस0 सी0 सी0 394
8. (1994)2 एस0 सी0 सी0 694
9. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 10–12–2014